

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन-222/2022
अनवान करनाराग बनाम सोनाराग गौरा

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

02.02.2026

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा दस्तावेजों की सूची (फेहरिस्त)के संलग्न सीमा ज्ञान रिपोर्ट पेश की जिसे शागिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेतों की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दपतर हो।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-वाड़मेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बालोतरा

क्रमांक : रा.आ./2026/776

दिनांक : 02/04/26

प्रार्थी
करनाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट
निवासी चीमोगियों की ढाणी पटवार
हल्का कूम्लिया तहसील गिड़ा।

बनाम

विप्रार्थी
रोनाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी
चीमोगियों की ढाणी पटवार हल्का कूम्लिया
तहसील गिड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 222/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चीमोगियों की ढाणी, कुम्लिया पटवार हल्का कुम्लिया तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बर क्रमशः 71, 72, 73, 88, 150/35, 74 रकबा क्रमशः 0.3237, 0.3561, 0.0890, 2.4848, 3.6745, 49.2097 हैक्टेयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है, एवं तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 1000/-जमा करा कर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।



(कल्पित-शिवराम)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बालोतरा

दिनांक : 02/04/26

क्रमांक : रा.आ./2026/777-782
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. भु-अभिलेख निरक्षक परेऊ।
3. पटवार हल्का कुम्लिया तहसील गिड़ा जिला बालोतरा को भेज कर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. प्रार्थी करनाराम पुत्र हेमाराम वगैरा 19
5. विप्रार्थी सोनाराम पुत्र मगाराम वगैरा 33
6. पुलिस थानाधिकारी नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला बालोतरा